

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/  
प्रार्थी

बनाम

485

अप्रार्थीगण

दिनांक - 25.2.20

1 लुणकरण पुत्र बागजी जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 ओमसिंह 2 मगसिंह पिसरान बालसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर बाड़मेर आगोर 3 श्रीराम पुत्र धाराम जाति जाट निवासी चाडी हाल निवासी रामनगर बाड़मेर 4 बाबूसिंह पुत्र बागसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रामनगर 132 केवी के सामने बाड़मेर 5 खेराजराम पुत्र तुलसाराम जाति प्रजापत निवासी पानी की टंकी के पास बलदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 382/2019

दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3914/1019 रकबा 07.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/

486-489

दिनांक- 25.2.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लुणकरण पुत्र बागजी जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ओमसिंह पुत्र बालसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

